उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी0-5 /वसूली /2019–20 दिनांकः 3-4-2019

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– विशेष वसूली अभियान 2018–19

आप अवगत हैं कि सहकारी वसूली वर्ष 2018–19 समाप्त होने में तीन माह का समय अवशेष रह गया है। मुख्यालय स्तर पर वसूली की समीक्षा किए जाने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि दि0 23.03.2019 तक कुल मॉग रू0 2239.88 करोड़ के सापेक्ष रू0 312.42 करोड़ की वसूली हुयी है जबकि गत वर्ष समान अवधि में रू0 407.62 करोड़ की वसूली हुई थी। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर वसूली (–) 95.19 करोड़ से पीछे है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि वसूली जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण लगन एवं मनोयोग से प्रयास नहीं किया जा रहा है अन्यथा परिणाम आशानुरूप होते। विगत कई माह से वसूली का प्रवाह अपेक्षानुरूप नहीं हुआ परिणाम स्वरूप हम अपनी देनदारियों यथा–नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय देनदारियों के निवर्हन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। उक्त स्थिति किसी भी वित्तीय संस्था के हित में नहीं है।

अतएव यह आवश्यक है कि सहकारी वसूली वर्ष 2018–19 की अवशेष अवधि में वसूली हेतु एक ठोस रणनीति तैयार कर उस पर गम्भीरतापूर्वक अनुपालन करते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास कर वसूली में उत्तरोत्तर गति लाई जाय।

इस सम्बन्ध में यद्यपि मुख्यालय के परिपत्रांक संख्या सी–39/वसूली/कार्यक्रम /2018–19 दिनांक 6.08.18 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है, फिर भी बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत एवं नाबार्ड एवं शासन द्वारा लगातार वसूली हेतु दिये जा रहे निर्देशों के क्रम में आपको पुनः निम्न निर्देश दिए जाते हैंः–

1. ***बैंक की प्रत्येक शाखा प्रातः 8:00 बजे अनिवार्य रूप से खोली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रातः 8:00 बजे तक शाखा के सभी कार्मिक शाखा पर उपस्थित हो जायें, तथा सभी कार्मिकों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रातः 8:05 बजे तक अपने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रेषित कर दी जाए। तद्पश्चात गठित वसूली टीमें प्रातः 8:15 तक वसूली भ्रमण पर अवश्य निकल जाये।***
2. शाखा पर आवश्यक कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य शेष कार्मिक वसूली भ्रमण पर रहेंगें। इस सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय के पत्रांक 16865/स्था0/2018–19 दिनॉक 15.10.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. **विशेष वसूली अभियान के दृष्टिगत दिनांक 30.06.19 तक शाखा प्रबन्धक सहित किसी भी कार्मिक को अवकाश देय नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में शाखा प्रबन्धक का अवकाश क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा तथा शाखा पर कार्यरत अन्य समस्त कार्मिकों का अवकाश सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक की संस्तुति पर क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।**
4. शाखा के कार्मिकों के मध्य आप द्वारा वसूली क्षेत्र/बकायेदारों का आवंटन कर दिया गया होगा। इस सम्बन्ध में पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र/बकायेदारों से वसूली हेतु पर्याप्त तकाजा किया जाए और व्यक्तिगत तकाजे के अतिरिक्त उनसे मोबाइल तथा अन्य संचार माध्यमों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि सभी बकायेदारों से कार्मिकों का सम्पर्क निरन्तर बना रहे।
5. चालू मांग की वसूली पर विशेष बल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू मांग की शत–प्रतिशत वसूली दिनांक 30 जून 2019, तक अवश्य कर ली जाए।

6. चालू मांग की वसूली के लिए यह आवश्यक है कि यथा आवश्यक लगाई गई किश्तों की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के पूर्व सम्बन्धित कृषक को सामान्य नोटिसें अवश्य प्रेषित कर दी गई हो। यदि अभी तक इस प्रकार की नोटिस कृषकों को तामील नहीं कराया गया हो, तो एक विशेष अभियान चलाकर सभी कृषकों को चालू किश्त की नोटिसें अवश्य प्रेषित कर दी जाय। चालू मांग से सम्बन्धित कृषकों को यह भी अवगत कराया जाए कि यदि उनके द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करा दी जायेगी **तो उन्हें बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज में छूट दी जायेगी।**
7. जिन शाखाओं में चालू मॉग की किश्त दिनॉक 30.06.19 को बकाया पड़ेगी उस शाखा प्रबन्धक एवं अन्य कर्मिकों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा और तद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
8. बकाया ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में आप द्वारा अब तक ऐसे खातों का चिन्हांकन अवश्य कर लिया है जिनमें ऋण वितरण के पश्चात् **शून्य वसूली** रही हो। ऐसे बकायेदारों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा उसके साथ पठित नियमावली 1968 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1964 एवं बैंक नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
9. रू0 एक लाख से अधिक बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक 38001–04/वसूली/18–19 दिनांक 01.04.17 द्वारा दिए गए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि एक लाख से बड़े चिन्हित बकायेदारों से दिनांक 30.06.19 के पूर्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित हो।
10. बैंक के ऐसे बकायेदारों को भी चिन्हित कर लिया जाए जो सरकारी सेवक हों, असलहाधारी हों, एवं किसी संस्था/निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर हों और उनके द्वारा जान बूझकर अब तक बैंक की धनराशि अदा न किया गया हो। ऐसे बकायेदारों से एक अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर लिया जाए। नियमानुसार उन्हें वसूली की नोटिसें तामील करवा दी जाए। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा बैंक की धनराशि जमा न की जाए तो उनके विरूद्ध भी वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
11. ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा बैंक के पक्ष में **बंधक की गई भूमि** बिना ऋण अदा किए किसी अन्य के पक्ष में बिक्री कर दी गई है, उनके क्रेता एवं विक्रेता को तत्काल विधिक नोटिस तामिला करा दिया जाए और धनराशि जमा करने के लिए कहा जाए। उक्त बकायेदारों पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्र0का0 के परिपत्र सं0 सी–62/वसूली/भूमि विक्रय/2017–18 दि0 03.11.2017 द्वारा निर्गत परिपत्रानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाय।
12. शाखाओं पर कतिपय बकायेदार अपने ऋण अदायगी के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य सक्षम न्यायालयों में वाद/रिट दायर** कर देते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों में शाखा स्तर पर वसूली की कार्यवाही शिथिल कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते है कि मात्र वाद/रिट योजित कर दिए जाने के कारण ही सम्बन्धित बकायेदार से वसूली की कार्यवाही शिथिल न की जाए, अपितु यह देख लिया जाए कि प्रश्नगत वाद/रिट में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किए गए हैं, तद्नुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जाए। यदि शाखा प्रबन्धक स्तर पर माननीय न्यायालय के किसी आदेश को लेकर कोई भ्रम की स्थिति हो, तो उससे तत्काल मुख्यालय को अवगत कराया जाए जिससे उसका निराकरण कराया जा सके।
13. शाखा के 20 बड़े बकायेदारों का नाम **शाखा कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय तथा तहसील कार्यालय एवं जनपद के 20 बड़े बकायेदारों का नाम जिलाधिकारी**